उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/43

पं.सं. 8-ई/6 सी.पी.सी./ Advances / 08/E-IV   दिनांक 20/11/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Revision of eligibility limit and amount of Festival Advance.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(LL) 2008/FA/1 दिनांक 05/11/2008 (आर.बी.ई.सं.168/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI S.No.43 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न/यथोक्त

20/11/2008

(Trilok Choudhari)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू,12 चेम्सफोर्ड रोड,नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर,नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए,3 बसंत लेन नई दिल्ली।

2

NR PS No 13500/43

PC-VI S. No. 43
RBE No.168/2008

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. E (LL) 2008/FA/1

Dated: 05.11.2008

The General Managers / FA & CAOs,
All Indian Railways / Pus.

Sub: Revision of eligibility limit and amount of Festival Advance.

Ref: Board's letter No.E (LL) 2004/FA/1 dated 25.10.2004

In pursuance of the decision taken by the Government on the Sixth Pay Commission's recommendations relating to advances, the President has been pleased to decide that non-gazetted employees whose Grade Pay does not exceed Rs. 4800/- (Four thousand eight hundred only) per month shall be eligible for Festival Advance and the amount of Festival Advance shall be increased from existing Rs. 1,500/- (One thousand five hundred) to Rs. 3,000/- (Three thousand).

2. The rates of the advance shall be increased by 25% every time dearness allowance on revised pay bands increases by 50%.

3. These orders are effective from 7.10.2008. However, the cases where the advance has been sanctioned under the existing provisions need not be re-opened.

4. The other terms and conditions remain unchanged.

5. Advance correction slip No.203 to Para 1125 of the Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (Revised Edition-1989) is also enclosed for necessary action.

This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

मदनलाल
(Madan Lal)
Joint Director Estt.(G)

No. E (LL) 2008/FA/1

Dated: 05.11.2008

1. The General Manager (Const), N. F. Railway, Guwahati.
2. The Director General and Ex. officio General Manager, RDSO, Lucknow.
3. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway / Kolkata.
4. The CAO and FA & CAO, COFMOW, New Delhi
5. The CAO(Const.)/Dy.FA&CAO, MTP®, Mumbai , Chennai
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad.
7. The Director General, Railway Staff College, Vadodara.
8. The Executive Director. CAMTECH, Gwalior.
9. Executive Director (Finance), RDSO, Lucknow

Indian Railway Establishment Manual,

Volume. I (Revised Edition – 1989)

Advance Correction Slip No.203

Page No.141 Chapter XI

Para 1125 – For the words "Basic pay not exceeding Rs.12, 450/-(Rupees Twelve thousand four hundred fifty only) per month, the words "Grade Pay of Rs. 4800/- (Four thousand eight hundred)" shall be substituted.

Para 1125(i) Substitute Rs. 3000/- (Three thousand) in place of Rs. 1500/- (One thousand five hundred).

(Railway Board's letter No. E (LL) 2008/FA/1 dated 05.11.2008)

******

भारतीय रेल स्थापना नियमावली

जिल्द I (संशोधित संस्करण-1989)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 203

अध्याय XI पृष्ठ सं. 141

पैरा 1125- "मूल वेतन प्रतिमास 12,450/-रुपए (केवल बारह हज़ार चार सौ पचास रुपए) से अधिक न हो,"शब्दों के लिए "4800/-रुपए (चार हजार आठ सौ) ग्रेड वेतन" को प्रतिस्थापित किया जाए.

पैरा 1125 (i) 1500/-रुपए (एक हजार पांच सौ) के स्थान पर 3000/- (तीन हज़ार) रुपए को प्रतिस्थापित किया जाए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 05.11.2008 का पत्र सं. ई (एल एल) 2008/एफ ए/1)

—x—x—x—

पी सी VI क्र.सं. 43
आर बी ई सं. 168/2008

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एल एल)2008/एफ ए/1 दिनांक 05.11.2008

महाप्रबंधक/विसमुलेधि,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय: त्यौहार अग्रिम देने के लिए पात्रता सीमा में संशोधन.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 25.10.2004 का पत्र सं. ई (एल एल)2004/एफ ए/1.

अग्रिमों से संबंधित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4800/- रु (केवल चार हजार आठ सौ) प्रतिमाह से अधिक नहीं है, त्यौहार अग्रिम के पात्र होंगे तथा त्यौहार अग्रिम की मौजूदा रकम को 1500/-रुपए (एक हज़ार पांच सौ) से बढ़ाकर 3000/-रुपए (तीन हज़ार) कर दिया जाए.

2. जब भी संशोधित वेतन बैंड पर मंहगाई भत्ता 50% हो जाए तब हर बार अग्रिम की दरों को भी 25% तक बढ़ा दिया जाए.

3. ये आदेश 7.10.2008 से प्रभावी होंगे. बहरहाल, जिन मामलों में मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत अग्रिम को मंजूरी दी जा चुकी है, उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है.

4. अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

5. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (संशोधित संस्करण-1989) के पैरा 1125 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 203 आवश्यक कार्रवाई हेतु भी संलग्न है.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

मदन लाल
(मदन लाल)
संयुक्त निदेशक, स्था. (सा.)